(क) क्या सरकार जिला मैजिस्ट्रेटों और पुलिस अधीक्षकों को उनके संबंधित क्षेत्रों में अनुसूचित जातियों/अनुसूचित जनजातियों के प्रति विभिन्न प्रकार के अत्याचारों, हत्या, बलात्कार, लूटपाट और डकैती के मामलों में जिम्मेदार ठहराने और दण्डित करने का विचार रखती है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और पिछले तीन वर्षों के दौरान जिम्मेदार ठहराए गये और दण्डित किये गये जिला मैजिस्ट्रेटों और जिला पुलिस अधीक्षकों की राज्यवार और जिलेवार संख्या कितनी कितनी है और उन्हें किस प्रकार का दण्ड दिया गया है;

(ग) क्या माननीय मंत्री जी इस बात से सहमत हैं कि अनुसूचित जातियों/ अनुसचित जनजातियों से संबंधित व्यक्तियों और महिलाओं पर अत्याचार, अत्याचारों को रोकने के लिये अधिक से अधिक विधान और कानून बनाए जाने के बावजूद दिन प्रतिदिन बढ़ रहे हैं और इन कानून आदि से ऐसे अत्याचारों पर प्रभावी ढंग से नियंत्रण नहीं हो पा रहा है; और

(घ) यदि हां, तो क्या सरकार ऐसे अत्याचारों को रोकने के लिये कोई ठोस कदम उठायेगी; यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री पी०एम० सईद): (क) और (ख) "पुलिस" और "लोक व्यवस्था" राज्य के विषय हैं। अतः अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के खिलाफ होने वाले अत्याचार के मामलों के बारे में आवश्यक निवारात्मक और दण्डात्मक उपाय करना राज्य सरकारों का कार्य है। दोषी जिला अधिकारियों के खिलाफ कार्रवाई करना भी राज्य सरकारों के क्षेत्राधिकार में है। तथापि, उपर्युक्त मामलों में चूक करने वाले जिला अधिकारियों के विरुद्ध की गई अनुशासनात्मक कार्रवाई के आंकड़े केन्द्रीय सरकार द्वारा संकलित नहीं किए जाते हैं।

(ग) और (घ) अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों पर अत्याचारों की रोकथाम करने के संबंध में ठोस उपाय संबंधित राज्य सरकारों द्वारा किए जाने हैं। तथापि, भारत सरकार इस प्रकार के अत्याचारों की प्रवृतियों का निकट से प्रबोधन कर रही है तथा समय-समय पर सभी राज्य सरकारों को विधायन का प्रवर्तन करने और ऐसे प्रवर्तन के लिए तंत्र को मजबूत करने के लिए दिशा निर्देश जारी करती आ रही है।

Core Committee of Ministers/Officials to Thrash Solution to Kashmir problem

6726. SHRI S.S. AHLUWALIA: Will the Minister of HOME AFFAIRS be pleased to state:

(a) whether Government have established a Core Committee of Ministers and Officials to thrash out a solution to the Kashmir problem;

(b) if so, what are the details thereof; and

(c) what work has so far been done and results achieved by this Committee with details thereof?

THE MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF HOME AFFAIRS (SHRI RAJESH PILOT): (a) to (c) A Group of Ministers has been constituted under the Chairmanship of Union Home Minister to consider various aspects of the situation in Jammu and Kashmir, with the aim of devising ways to restore normally and eanable initiation of the political process in the State.

The Group of Ministers met on 24.12.93 and 24.2.94 to consider and discuss the various issues involved, including matters pertaining to publicity and countering the disinformation campaign launched by Pakistan and the militant groups, reactivation of the administration, etc. This is a continuing process in which the situation is kept under review and necessary steps initiated as may be found necessary.

Security of Foreigners Engaged in Tea / Oil Sectors

6727. SHRI NYODEK YONGGAM: Will the Minister of HOME AFFAIRS be pleased to state:

(a) whether it is a fact that drilling of oil in Upper Assam oil field by French Company has been halted due to extortion threat by suspected ULFA militants; and

(b) if so, what security measures have been provided to the foreigners in Assam particularly those who are serving in tea